फर्द अहकाम

मालीराम वगै० बनाम प्रभातराम वगै०

ञय सहायक कलक्टर (प्र) शाहपुरा

79/2023 दावा – 53,188 RTA

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
18/1/24	वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष ने प्रकरण में राजीनामे अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि पक्षकारान राजीनामे अनुसार वाद-पत्र में बंटवारा चाहते है अत: राजीनामे अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है फैसला अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर होकर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. साहब .... है। अन्य प्रशासनिक कार्य .... पत्रावली गत आदेशानुसार दि. .... को पेश हो। (रीडर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट – ट्रेक) शाहपुरा जिला – जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद संख्या :– 79/2023

शीर्षक

1. शालीराम पुत्र स्व. नाथूराम
2. सायूराम पुत्र स्व. नाथूराम

समस्त वयस्क, जाति अहीर निवासीगण ग्राम लिसाड़िया तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल निवासीगण करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

–वादीगण

बनाम

1. प्रभातराम पुत्र स्व0 नाथूराम
2. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. नाथूराम
3. सुरजमल पुत्र स्व. नाथूराम

   समस्त वयस्क, समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम लिसाड़िया तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 18/1/2024

वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि कि विवादित आराजी खसरा नंबर 215/3132, 277, 279, 281, 282, 283, 284, 284/313 कुल किता 8 कुल रकबा 1.80 है0 भूमि वाकै ग्राम करीरी पटवार हल्का करीरी तह0 शाहपुरा में स्थित है जिसकी खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण नंबर 1 लगा0 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं खसरा नंबर 267/3120, 269 लगा0 276, 278 कुल किता 10 रकबा 3.71 है0 भूमि वाकै ग्राम करीरी तह0 शाहपुरा में स्थित है जिसकी खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगा0 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में भूमि खसरा नंबर 225, 227 कुल किता 02 कुल रकबा 0.66 है0 है जिसकी खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा0 03 नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी खसरा नंबर 221 से 223 कुल किता 03 कुल रकबा 0.75 है0 भूमि वाकै ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसकी खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा0 03 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आ0 ख0 नं0 229 रकबा 0.76 है0 भूमि वाकै ग्राम करीरी तह0 शाहपुरा में स्थित है जिसकी खातेदारी 79/162 प्रतिवादी

सहायक कलक्टर

संख्या 02 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आ0ख0नं0 228 रकबा 0.63 है0 भूमि वाकै ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसकी खातेदारी में हिस्सा 1/2 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 के नाम व 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादी नंबर 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। आ0ख0नं0 226 रकबा 0.38 है0 वाकै ग्राम करीरी तह0 शाहपुरा में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, जिसमें ट्यूबवैल मय विद्युत कनैक्शन प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा 3 आपस में सगे भाई है वादीगण हाल ग्राम करीरी में निवास करते है व प्रतिवादीगण सं0 1 लगा 3 ग्राम लिसाड़िया तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में स्थाई रूप से निवास करते है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 3 की संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त कुटुम्ब की सहदायकी कृषि भूमियां ग्राम करीरी व ग्राम लिसाड़िया में स्थित है जो सभी भाईयों की पारिवारिक संयुक्त कृषि भूमियां हैं। उक्त भूमियों बाबत् बाहमी पारिवारिक समझौता अर्सा करीब 25 वर्ष पूर्व हो गया उक्त बाहमी समझौते अनुसार ग्राम करीरी तह0 शाहपुरा की समस्त कृषि भूमियां वादीगण के हक हिस्से में तन्हा रूप से हक हिस्से आ गयी है तथा ग्राम लिसाड़िया की समस्त कृषि भूमियां जो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 3 के हक हिस्से में तन्हा रूप से आयी हुई है।

ग्राम लिसाड़िया में स्थित कृषि भूमियां वर्तमान खतोनी संख्या 313, 312, 314, 594, 771 है जिसमें वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं रहा है वादीगण के नाम दर्ज उक्त सम्पूर्ण भूमियां प्रतिवादीगण के उनके हक हिस्से अनुसार तन्हा रूप से बंटवारे में आ गयी है इसी अनुसार ग्राम करीरी में प्रतिवादीगण का लेना देना नही रहा हैं व ग्राम लिसाड़िया तह0 श्रीमाधोपुर में वादीगण का कोई लेना देना समझौता बाहमी के बाद से नही रहा है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम लिसाड़िया तह0 श्रीमाधोपुर में स्थित भूमियों बाबत प्रतिवादीगण द्वारा वाद पेश होने पर वादीगण द्वारा इसी अनुसार अपनी सहमति देकर न्यायालय एसडीओ श्रीमाधोपुर द्वारा उक्तानुसार निर्णय व डिक्री जारी की जा चुकी है। पक्षकारान ने वादपत्र में वर्णित भूमियों को मौके पर बाहमी रूप से समझौता कर रखा है, उक्त समझौता अनुसार भूमि खसरा नंबर 226 रकबा 0.38 है0 सम्पूर्ण, खसरा नंबर 225 रकबा 0.27 है0, खसरा नंबर 227 रकबा 0.39 है0 सम्पूर्ण व वादपत्र की मद नंबर 1 लगा0 4 में वर्णित भूमियों में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 3 नाम दर्ज हिस्से में से आधा हिस्सा वादी संख्या 1 के, व भूमि खसरा नंबर 228 रकबा 0.63 है0 सम्पूर्ण, खसरा नंबर 229 रकबा 0.76 है0 सम्पूर्ण व वादपत्र की मद नंबर 1 लगा0 4 में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 3 के नाम दर्ज हिस्से में से आधा हिस्सा वादी संख्या 2 के हक हिस्से में तन्हा रूप से आया हुआ है। इसी अनुसार वादीगण अपनी अपनी भूमियों पर तन्हा रूप से अलग–अलग सीवं नीवं कायम कर मौके पर अलग–अलग काबिज है। इसी अनुसार वादीगण अपने नाम खातेदारी दर्ज करने के अधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के आपस में सौहार्दपूर्ण संबंध चले आ रहे हैं इस कारण वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण के द्वारा कभी कोई मजाहमत व चाराजोही नही की गई है। इस कारण वादीगण द्वारा पूर्व में कोई कार्यवाही नहीं की गयी परन्तु अब जमीनों की बढ़ती हुई कीमतो व वर्तमान मौजूद समय

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

में सब से दूषित माहौल के कारण वादीगण अपने नाम खातेदारी दर्ज करना आवश्यक समझते है। वादीगण ने दिनांक 10.04.2023 को प्रतिवादीगण को इस बाबत् कहा तो व अब आनाकानी करने लग गये है। इसी कारण वादीगण को यह वादपत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य हुये पारिवारिक सैटलमेन्ट के अनुसार ग्राम करीरी तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 226 रकबा 0.36 है0 सम्पूर्ण मय विद्युत कनैक्शन व खसरा नंबर 225 रकबा 0.27 है0 सम्पूर्ण व खसरा नंबर 227 रकबा 0.39 है0 सम्पूर्ण तथा वादपत्र की मद नंबर 01 लगा0 04 में वर्णित भूमियों में प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के नाम दर्ज हिस्से में से आधा हिस्सा वादी संख्या 1 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व भूमि खसरा नंबर 228 रकबा 0.63 है0 सम्पूर्ण, खसरा नंबर 229 रकबा 0.76 है0 सम्पूर्ण तथा वादपत्र की मद नंबर 01 लगा0 04 में वर्णित भूमियों में प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के नाम दर्ज हिस्से में से आधा हिस्सा का वादी सं0 2 को काबिज खातेदार काश्तकार जरिये पारिवारिक बाहमी समझौता अनुसार घोषित किया जाकर वादीगण के हक हिस्से अनुसार एक दूसरे के हिस्से में आयी हुयी भूमियों से एक दूसरे का नाम हजफ किया जाकर वादपत्र की मद नंबर 1 लगा0 7 में प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 का नाम हजफ फरमाया जाकर मुताबिक डिक्री रिकॉर्ड में खातेदारी अंकन कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधीवत नोटिस जारी किये गये। दिनांक 11.10.2023 को प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा इकबाली जवाब दावा तथा राजीनामा पेश किया। प्रकरण में वकील उभयपक्ष ने वाद-पत्र, इकबाली जवाब दावा तथा राजीनामा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एवं पक्षकारान् द्वारा पेश राजीनामा अनुसार वाद को डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान् द्वारा पेश राजीनामा अनुसार दोनों पक्षों ने राजीनामा अनुसार प्रकरण में बंटवारा/ अन्तिम डिक्री किया जाना स्वीकार किया है । अतः मुताबिक राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादीगण व प्रतिवादीगण के आपस में परस्पर राजीनामा के मुताबिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक राजीनामा के अनुसार पक्षकारान् के नाम बंटवारा में आयी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार, तहसील शाहपुरा को तहरीर जारी हो। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/1/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र – 6

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट – ट्रैक) शाहपुरा जिला – जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 79/2023

शीर्षक

1. मालीराम पुत्र स्व. नाथूराम
2. साधूराम पुत्र स्व. नाथूराम

समस्त बालिग, जाति अहीर निवासीगण ग्राम लिसाड़िया तह. श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल निवासीगण कूंदी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

—वादीगण

बनाम

1. प्रभातराम पुत्र स्व. नाथूराम
2. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व. नाथूराम
3. सुवालाल पुत्र स्व. नाथूराम

समस्त बालिग, समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम लिसाड़िया तह. श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 18/1/2024

अतः दावा वादीगण व प्रतिवादीगण के आपस में परस्पर राजीनामा के मुताबिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक राजीनामा के अनुसार पक्षकारान् के नाम बंटवारा में आयी भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/1/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. अर्जी के लिए स्टाम्प 4. —— सनदों पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	